



संख्या: 380 / XVII(2) / 04- 38 / 2004

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई०सी०डी०एस०,
उत्तरांचल, देहरादून।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग: देहरादून: दिनांक: 14 ^{जून} 2004.

विषय मातृत्व एवं गर्भपात/अकाल प्रसव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं की अनुपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक 26-2/98/2001-सी०डी०-11/ सी०डी०-1 दिनांक 28-02-2001 के अनुक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय सहित मातृत्व एवं गर्भपात/अकाल प्रसव पर अनुपस्थिति निम्नानुसार प्राधिकृत/अनुमन्य की जाती है:-

1- मातृत्व अनुपस्थिति :

- (1) कार्यकर्त्री एवं सहायिका को गर्भ के आवेग मात्र से प्रारम्भ होकर अधिकतम 135 दिवस की अनुपस्थिति अनुमन्य होगी।
- (2) मातृत्व के कारण अनुपस्थिति अधिकतम दो बार गृहण की जायेगी।
- (3) यह सुविधा उन्हीं कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को मिलेगी जिनके दो अथवा उससे कम जीवित बच्चे हैं।

2- गर्भपात/अकाल प्रसव अनुपस्थिति:

- (1) गर्भपात/अकाल प्रसव की तिथि से अधिकतम 45 दिवस की अवधि के लिए अनुपस्थिति अनुमन्य होगी।
- (2) उपरोक्त बिन्दु 1(2) में उल्लिखित मातृत्व के कारण अनुपस्थिति के अतिरिक्त मात्र एक बार गर्भपात/अकाल प्रसव के लिए अनुपस्थिति प्राधिकृत होगी।
- (3) गर्भपात/अकाल प्रसव हेतु कार्यकर्त्री/सहायिका के बच्चों की संख्या की गणना नहीं की जायेगी।

3- उपरोक्तानुसार मातृत्व एवं गर्भपात/अकाल प्रसव के कारण अनुपस्थिति उन्हीं कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को प्राधिकृत होगी जो एक वर्ष कार्य कर चुकी हैं।

4- मानदेय सहित प्राधिकृत अनुपरिस्थिति से संबंधित अन्य मार्गनिदेश बिन्दु पूर्ववत् रहेंगे।

5- कार्यकर्ता/सहायिका की अनुपरिस्थिति पर आंगनवाड़ी सेवाएँ सामान्य रूप से संचालित करने के लिए सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


एस0के0मुट्टू
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्ता-नुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल।
- 2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला शशक्तीकरण एवं बाल विकास।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
- 5- कार्मिक अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
- 6- वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
- 7- अनुसचिव (श्री एम0एस0नेगी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग), भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
- 8- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 9- विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(हेमलता ढाँडियाल)
अपर सचिव।